पत्रांक–2ब०/सड़क–09–28/2014 306 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक– 25·3·17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में छठ पूजा, 2016 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नागरिक सुविधा मद से कुल ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 465, दिनांक– 18.01.2017 द्वारा छठ पूजा, 2016 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाएँ यथा– घाट निर्माण, बैरिकेटिंग, अस्थीय तालाब निर्माण, विद्युत व्यवस्था, सफाई कार्य आदि कार्यों पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹258.48374 लाख (दो करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र का वास्तविक व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराते हुए वास्तविक व्यय प्रतिवेदन के अनुरूप राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है तथा प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 54, दिनांक– 23.02.2017 द्वारा छठ पूजा, 2016 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाएँ यथा– घाट निर्माण, बैरिकेटिंग, विद्युत व्यवस्था, सफाई कार्य आदि के लिए व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹298.07 लाख (दो करोड़ अंठानवे लाख सात हजार रु०) मात्र का वास्तविक व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराते हुए वास्तविक व्यय प्रतिवेदन के अनुरूप राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया

विचारोपरांत उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०–305 दिनांक–25/3/17 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में छठ पूजा, 2016 के अवसर पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं हेतु नागरिक सुविधा मद से पटना नगर निगम, पटना को कुल ₹258.48374 लाख (दो करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र तथा बुडको को ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित की जाती है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे।** राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक सहित) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। ***स्वीकृत कुल ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) राशि के निकासी के उपरांत बुडको द्वारा किये गये कार्यों के लिए कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र राशि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि का व्यय, स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र राशि की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष 2217– शहरी विकास– उपमुख्यशीर्ष –01– राज्य की राजधानी का विकास– लघुशीर्ष –191– नगर निगम को सहायता– उपशीर्ष –0109– नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **P 2217011910109** राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080–विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बुडको छठ पर्व, 2016 के अवसर पर किये गये कार्यों से संतुष्ट होने एवं कार्यों की डुप्लीकेशन नहीं हुआ हो इस बिन्दु के जाँच के उपरांत ही भुगतान करेंगे।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–28/2014 306 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–25.3.17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब० / सड़क–09–28 / 2014 305 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 25/3/17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में छठ पूजा, 2016 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नागरिक सुविधा मद से कुल ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 465, दिनांक– 18.01.2017 द्वारा छठ पूजा, 2016 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाएँ यथा– घाट निर्माण, बैरिकेटिंग, अस्थीय तालाब निर्माण, विद्युत व्यवस्था, सफाई कार्य आदि कार्यों पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹258.48374 लाख (दो करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र का वास्तविक व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराते हुए वास्तविक व्यय प्रतिवेदन के अनुरूप राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है तथा प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 54, दिनांक– 23.02.2017 द्वारा छठ पूजा, 2016 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाएँ यथा– घाट निर्माण, बैरिकेटिंग, विद्युत व्यवस्था, सफाई कार्य आदि के लिए व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹298.07 लाख (दो करोड़ अंठानवे लाख सात हजार रु०) मात्र का वास्तविक व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराते हुए वास्तविक व्यय प्रतिवेदन के अनुरूप राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया।

विचारोपरांत उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में छठ पूजा, 2016 के अवसर पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं हेतु नागरिक सुविधा मद से पटना नगर निगम, पटना को कुल ₹258.48374 लाख (दो करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र तथा बुडको को ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे।** राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक सहित) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। ***स्वीकृत कुल ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) राशि के निकासी के उपरांत बुडको द्वारा किये गये कार्यों के लिए कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र राशि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि का व्यय, स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत ₹458.48374 लाख (चार करोड़ अंठावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रु०) मात्र राशि की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष 2217– शहरी विकास– उपमुख्यशीर्ष –01– राज्य की राजधानी का विकास– लघुशीर्ष –191– नगर निगम को सहायता– उपशीर्ष –0109– नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **P 2217011910109** राज्य योजना स्कीम कोड URB 5080–विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बुडको छठ पर्व, 2016 के अवसर पर किये गये कार्यों से संतुष्ट होने एवं कार्यों की डुप्लीकेशन नहीं हुआ हो इस बिन्दु के जाँच के उपरांत ही भुगतान करेंगे।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क–09–28/2014 के पृष्ठ सं०– ......76..../टि० पर दिनांक– 23.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ....76.../टि० पर दिनांक– ....24.03.2017को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–28/2014 305 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 25/3/17

प्रतिलिपि:– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.3.17

सरकार के विशेष सचिव।